न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 201/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/325

प्रार्थीगणः–	बनाम	अप्रार्थीगणः–
1. बींजाराम पुत्र मुलाराम 2. लुम्बाराम पुत्र मुलाराम 3. कालुराम पुत्र मुलाराम जातिगण माली निवासीगण धन्धेड़ी तहसील सोजत जिला पाली		1. शोभा पत्नी भंवरलाल, जाति देवासी निवासी धन्धेड़ी तहसील सोजत जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत मण्डला पंचायत समिति सोजत तहसील सोजत जिला पाली 3. ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत मण्डला तहसील सोजत जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री रजत व्यास।

–: निर्णय :–

दिनांक : 30.03.2026

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 110/2012–13, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 14.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 14.02.2013 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की खातेदार कृषि भूमि ग्राम धन्धेड़ी में आई हुई है, जिसके खसरा संख्या 114, 116, 119, 120, 121 से 125 कुल रकबा 28.6500 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी कृषि भूमि में से खसरा संख्या 116, 119 ग्राम धन्धेड़ी के आबादी क्षेत्र की सीमा से जुड़ती हुई स्थित है। ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा संख्या 117 में स्थित है। ग्राम पंचायत ने नियमविरूद्ध जैर निगरानी पट्टा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में जारी कर दिया तथा उक्त पट्टे की आड़ में अप्रार्थी ने प्रार्थी की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर दिया है। ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करने से पूर्व आबादी क्षेत्र की जांच किये बिना ही प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत

अति. जिला कलेक्टर, पाली

के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर किये हुए है और जैर आराजी पर अपनी पुश्तैनी कब्जा होने के झूठे तथ्य पेश किये। ग्राम पंचायत ने 12 माह पश्चात् जैर निगरानी पट्टे हेतु मिसल दर्ज की है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में नियुक्त पंचों में से किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर है, नक्शा मौका पर किसी दिनांक का अंकन नहीं है। आपत्ति नोटिस पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है। प्रार्थीगण को प्रश्नगत पट्टे की जानकारी होने पर नियत समय पर जैर निगरानी याचिका पेश की जिसे अन्दर म्याद शुमार फरमावे। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया, जिसे खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम धन्धेडी के खसरा संख्या 114, 116, 119, 120, 121 से 125 की भूमि में प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य खातेदार कृषक भी है, जिन्हें उक्त निगरानी में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। जैर निगरानी पट्टा ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा जारी किया है, जबकि उन्हें अप्रार्थी के रूप में पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी, हक अधिकार की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण का अवैध कब्जा है, तो उस स्थिति में प्रार्थीगण को भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु राजस्व न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना था। सभी जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थीगण के मकान एवं बाडा निर्मित है। प्रकरण में प्रार्थीगण की यह स्वीकृति है कि खातेदारी कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुये पट्टा जारी किया है, इसमें प्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सम्पूर्ण भूमि पर पट्टा जारी किया गया है अथवा कृषि भूमि के कितने भू–भाग पर पट्टा जारी किया गया है। पंचायत नियम की धारा 97 की उपधारा 3 में वर्णित प्रावधान अनुसार निगरानी 90 दिवस के भीतर–भीतर पेश करनी चाहिए थी, उसके उपरान्त भी प्रार्थी ने म्याद बाहर जैर निगरानी याचिका पेश की है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 18.03.2024 अप्रार्थी की अनुपस्थिति में प्रार्थीगण की सुविधा के अनुसार तैयार करवाई गई है। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष विधिनुसार आवेदन पेश किया, जिसमें प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार कर, तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया और आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कार्यवाही पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार करते हुये प्रश्नगत पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 2019 Raj Page 432, AIR 2018 Raj Page 1417 पेश कर बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज करने का निवेदन किया है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 110/2012–13, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 14.02.2013 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 14.02.2013 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ने प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की, जिसके बिन्दु संख्या 1 में यह उज्र उठाया कि 'अधिवक्ता प्रार्थी ने जैर निगरानी याचिका लगभग 1 वर्ष 6 माह पश्चात् पेश की है जबकि धारा 97 की उपधारा 3 में वर्णित प्रावधान अनुसार 90 दिवस में निगरानी पेश करना आज्ञापक है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी को जानकारी होने पर अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की, इसके अतिरिक्त जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brouth to their notice. इसी प्रकार 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the reisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया ज़ा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 97 की उपधारा 3 में यह प्रावधान वर्णित है कि उपधारा 1 के अधीन आदेश पारित किये जाने के 90 दिन के भीतर–भीतर ऐसे किसी आदेश का पुर्नविलोकन किया जा सकेगा। हस्तगत प्रकरण पुर्नविलोकन से सम्बन्धित नहीं होकर ग्राम पंचायत के किसी आदेश के परीक्षण के सम्बन्ध में उक्त धारा 97 की उपधारा 1 के तहत निगरानी याचिका है। साथ ही विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 1 वर्ष 6 माह के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करते है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 1 में किया गया उज्र पोषणीय नही है।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी विधिक आपत्ति के बिन्दु संख्या 2 से 3 में यह कथन किया कि विवादित भूमि खसरा सख्या 114, 116, 119, 120, 121 से 125 में प्रार्थीगण के अतिरिक्त अन्य खातेदार भी विद्यमान है, किन्तु उन्हें प्रकरण में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया है, अतः याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में यह प्रतिपादित किया जाता है, उक्त राज पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी अर्थात् किसी भी पंचायत आदेश अथवा कार्यवाही के विरूद्ध कोई भी हितबद्ध व्यक्ति आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। विधि में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि विवादित सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रत्येक खातेदार को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। अतः एक मात्र हितबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत याचिका भी विधिसम्मत रूप से ग्राहय है और इस आधार पर याचिका को अपूर्ण नहीं माना जा सकता। अप्रार्थी द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति यह है कि प्रश्नगत पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है, किन्तु ग्राम पंचायत को विधिवत पक्षकार नही बनाया गया हैं। इस सन्दर्भ में अभिलेखों से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि सम्बन्धित ग्राम पंचायत का विधिक प्रतिनिधत्व उसके सरपंच द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत पट्टा जारी करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया, पंचायत प्रस्ताव एवं आदेशिका सरपंच की अध्यक्षता एवं अनुमोदन से सम्पादित हुई है। प्रार्थी द्वारा सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डला को पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना, वस्तुतः ग्राम पंचायत को ही विधिवत पक्षकार बनाए जाने के समतुल्य है। अतः यह आपत्ति भी तथ्यहीन एवं विधि विरूद्ध है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश/प्रस्ताव की अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में जारी किया गया है। अतः पट्टा जारी करते समय अपनाई गई प्रक्रिया, उसकी वैद्यता एवं औचित्य को चुनौती देना पूर्णतः धारा 97 के अन्तर्गत आता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994. उक्त धारा सक्षम प्राधिकारी को यह अधिकार प्रदान करती है कि वह पंचायत के किसी भी निर्णय अथवा आदेश का परीक्षण कर, आवश्यकता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

होने पर उसे निरस्त, परिवर्तित अथवा पुनर्विचारार्थ प्रेषित कर सके। इसके अतिरिक्त, यदि केवल ग्राम पंचायत को नाममात्र पक्षकार बनाया जाता और उसके प्रतिनिधि का उल्लेख नहीं किया जाता, तो नोटिस की तामील, उपस्थिति एवं अभिवादन के सम्बन्ध में व्यावहारिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती। अतः सरपंच को पक्षकार बनाना न केवल विधिसम्मत है, बल्कि प्रक्रिया की दृष्टि से भी उपयुक्त एवं आवश्यक है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति विधिक दृष्टि से पोषणनीय होने से स्वीकार योग्य नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत विधिक आपत्ति का बिन्दु संख्या 2 से 3 में किया गया उज्र पोषणीय नही है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस यह आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी ने अपनी निगरानी याचिका में यह स्पष्ट नहीं किया कि उसकी खातेदारी कृषि भूमि में कितने भाग पर तथा अन्य भूमि के कितने भाग पर प्रश्नगत पट्टा जारी किया गया है, अतः याचिका अपूर्ण एवं खारिज योग्य है। निगरानी याचिका का मूल उद्देश्य पंचायत द्वारा पारित आदेश अथवा कार्यवाही की वैद्यता, विधिकता एवं औचित्य का परीक्षण किया जाना है। ग्राम धन्धेडी की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 के अनुसार खसरा संख्या 114, 116, 118, 119, 120, 121 से 125 में प्रार्थीगण बतौर खातेदार दर्ज है, जिससे यह स्थापित होता है कि उक्त भूमि खातेदारी कृषि भूमि है एवं उस पर प्रार्थीगण का वैध अधिकार है। इसी प्रकार पटवारी मण्डला की रिपोर्ट दिनांक 15.03.2024 के अनुसार प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 116 व 119 में अतिक्रमण की मौका जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि उक्त भूमि आबादी भूमि के खसरा संख्या 117 से सटी हुई है तथा मौके पर कुछ व्यक्तियों द्वारा आबादी सीमा से बाहर बढ़कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में पक्के एवं कच्चे निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 का नाम भी अंकित है। उक्त रिपोर्ट से यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि अतिक्रमण खातेदारी कृषि भूमि में किया गया है, न कि आबादी भूमि में। इसके अतिरिक्त प्रकरण में उभयपक्ष की यह स्वीकारोक्ति है कि प्रश्नगत पट्टा खातेदारी कृषि भूमि को सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्वीकृत तथ्यों को पुनः प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से स्थापित माना जाता है कि पट्टा खातेदारी कृषि भूमि पर जारी किया गया है। जहाँ तक ग्राम पंचायत की अधिकारिता का प्रश्न है, यह विधिसम्मत रूप से स्थापित है कि ग्राम पंचायत को केवल आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने का अधिकार प्राप्त है तथा खातेदारी कृषि भूमि में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार – Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 – Revision by Collector of the order passed by Panchayat –

अति. जिला कलेक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

Cancellation of patta granted by Panchayat – ``Can Panchayat sell public land? – The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat – Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इस प्रकार ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर खातेदारी कृषि की भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो नियमों के अनुसार अमान्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी का प्रमुख उज्र दौराने बहस यह भी रहा कि ग्राम पंचायत ने नियम 157 के तहत अप्रार्थी को 373.3 वर्गगज का जैर निगरानी पट्टा विधिविरूद्ध तरीके से जारी कर दिया जबकि पंचायतीराज नियम 157 में केवल 300 वर्गगज तक के पट्टे ही जारी किये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 की धारा 157 का उद्देश्य पुराने गृहों के विनियमितीकरण का है। प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा 3360 वर्गफुट की भूमि से सम्बन्धित है, जबकि 1996 के नियम 157 में ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित दरों पर 300 वर्गगज की सीमा निर्धारित की गई है। जिन मामलों में क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक है वहां जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित दरों पर पट्टा होना चाहिए जो कि वर्तमान मामलें में निशचित रूप से नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय State of Rajasthan vs Kedar Singh में यह स्पष्ट किया कि पट्टे के लिए निर्धारित राशि और क्षेत्रफल में विसंगति पाई जाए तो उस पट्टे को रद्द किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2020(1) DNJ (Raj.) 201 Kushal Singh Rajpurohit vs State of Rajasthan Thro' Secsretary Department Panchayati Raj, Jaipur & Ors. में वर्ष 2007 में ग्राम पंचायत द्वारा जारी 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल के पट्टे को निरस्त करते हुये यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 – नियम 157 के तहत निर्धारित क्षेत्रफल 300 वर्गगज से अधिक क्षेत्रफल का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है।"

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में चिहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष पट्टा बनाने हेतु जो आवेदन पत्र पेश किया गया, उसके साथ कोई नक्शा पेश नहीं किया गया और न ही आवेदन पत्र पर प्रस्तुत करने की दिनांक का अंकन है। साथ ही आवेदन पत्र की पुश्त पर वर्णित पटवारी रिपोर्ट भी रिक्त है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि आबादी है या खातेदारी कृषि भूमि ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं से भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई एवं तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थना पत्र में नियमानुसार शुल्क 60/– रूपये पेश होना अंकित किया परन्तु उक्त राशि वास्तव में कब, किस माध्यम से एवं किस रसीद संख्या के अन्तर्गत जमा कराई गई, इसका कोई अभिलेख अथवा प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। न ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

ग्राम पंचायत के अभिलेखों में शुल्क जमा होने के सम्बन्ध में कोई प्रविष्टि पाई गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत नियम 145 के अनुसार पंचायत से कोई भी आबाद भूमि खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति अपने आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करायेगा और यदि आवेदन के साथ स्थल नक्शा संलग्न नहीं किया गया हो, तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिए भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा, जिसकी पालना हस्तगत मामलें में निश्चित रूप से नहीं की गई। आदेशिका दिनांक 21.12.12 के द्वारा मनोनीत तीन पंचों का भूमि का मौका निरीक्षण एवं सचिव को प्रश्नगत भूमि का नक्शा बनाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर न तो नक्शा बनाने वाले के हस्ताक्षर है, न सायल के हस्ताक्षर और न ही सरपंच के हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता कि नक्शा विधिवत रूप से तैयार किया गया हो और उक्त नक्शा किस दिनांक को तैयार किया गया, इसका भी कोई उल्लेख नक्शे पर अंकित नहीं है। साथ ही जैर निगरानी भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा तीन पंचों को नियुक्त किया गया परन्तु मौका निरीक्षण पर एक हस्ताक्षर मनोनीत पंचों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के है। इतना ही नहीं, मूल्यांकन के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय भी अंकित नहीं की। राजस्थान पंचायती राज नियम 146 के उपबंध (3) के अनुसार निरीक्षण समिति द्वारा "क से ड" बिन्दुओं पर स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सम्बन्धित भूमि पट्टा देने योग्य है अथवा नहीं, किन्तु प्रकरण में उपरोक्त वर्णित प्रावधानों को दूषित करते हुए मनमर्जी की प्रक्रिया अपनाई जाकर कार्यवाही की गई, जो पट्टा जारी किये जाने की सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्नचिह्न लगाती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2009 WLC 759 Babu singh vs State of Rajasthan & Others. के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Act, 1994-S.97-The patta issuing order of the collector has been quashed as the order has been made in violation of the rules-The collector has exercised his power superficially in this mater which is not acceptable-Resolution for issuing the Patta has been set aside. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) RLW(RJ) 1091 Dhrampal Singh vs Additional District Collector के अनुसार Rajasthan Panchayat Raj Rules, 1996, Rule 157 read with Rule 146 - Allotment bade by Village Panchayat-Not following the requirements of Rule 157-Additional Collector cancelled the allotment-Held-The village Panchayat had failed to follow the procedure prescribed for allotment or take into consideration the preconditions for invoking Rule 157 of the 1996 Rules. Petition dismissed. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में गवाहों के बयान निर्धारित प्रिटेंड प्रारूप में है, जिसमें सुविधानुसार नाम अंकित किये गये है, जो कि पूर्णतया नियमों के विपरीत है। गवाहों के बयान व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से लिये जाने चाहिए, न कि पूर्वनिर्धारित फॉर्मेट में, क्योंकि इससे गवाहों की सच्चाई और स्वतंत्रता पर सन्देह होता है, जो न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और प्रमाणिकता के सिद्धान्तों का उल्लंघन करता है। पूर्व से प्रिंटेड प्रारूप में बयानों में नाम भरना, गवाह के स्वतंत्र बयान को प्रभावित करता है तथा गवाहों के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बयान कब लिये गये इस सम्बन्ध में किसी दिनांक का अंकन नहीं है, साथ ही प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया है, उस पर न तो नोटिस जारी होने की दिनांक अंकित है और न ही डिस्पेच नम्बर। इसके अतिरिक्त सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो स्वतंत्र गवाहों के हस्ताक्षर/अगुंष्ठ निशान भी नहीं है। ऐसी स्थिति में यह कहॉ जा सकता है कि प्रकरण में नोटिस जारी करने का कार्य केवल दस्तावेजी स्वरूप ही किया गया, वास्तविक रूप से कार्यवाही नहीं की गई अर्थात् प्रकरणों में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त हुई अथवा नहीं ? यदि आपत्ति प्राप्त हुई, तो उक्त आपत्ति का क्या निस्तारण किया गया ? यह कहीं भी स्पष्ट नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1995 DNJ (Raj) 458 Dhanraj and Anr vs Additional Collector, Ganganagar & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायत और न्याय पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 255 से 265–आबादी भूमि के विक्रय हेतु विस्तार से प्रक्रिया प्रकट है–प्रस्तुत मामले में यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई–भूमि क्रय करने हेतु आमंत्रण नहीं मांगें गए, कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई–कोई आपत्तियॉ भी नहीं मांगी गई और न सार्वजनिक निलाम ही हुआ, अभिनिर्धारित, यह तो स्पष्ट रूप से नियमों का ही अतिक्रमण न होकर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का भी अतिक्रमण है–विक्रय को अभिखण्डित किया गया। साथ ही न्यायिक दृष्टान्त RRT 2003(1) page 174 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 नियम 142 से 157–पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 63 व 97–आपसी बातचीत से आबादी भूमि विक्रय की–जब तक नियम 156 में दी गई शर्तों की पालना न हो तब तक भूमि विक्रय नहीं की जा सकती और न पट्टा जारी किया जा सकता–प्रार्थी पिछले 15 वर्षों से भूमि के अधिपत्य में है इस आधार पर भी भूमि आपसी बातचीत से विक्रय नहीं की जा सकती–नियम 142 से 157 के प्रावधानों की पालना नहीं–अपर कलेक्टर ने विक्रय को अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा की गई कार्रवाई विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। सम्पूर्ण मिसल की आदेशिका पूर्व मुद्रित निर्धारित प्रारूप में तैयार की गई है, जिसमें प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित तथ्यों को सुविधानुसार अंकित किया गया है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली से यह सन्देह उत्पन्न होता है कि वास्तविक एवं स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया गया, बल्कि औपचारिकता मात्र निभाई गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के अभिलेखों में जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित बैठक कार्यवाही रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित नहीं होता कि पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की कोई विधिवत बैठक आयोजित की गई थी। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी पट्टे को जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत की नियमित बैठक आयोजित कर प्रस्ताव पारित किया जाना अनिवार्य होता हैं। बिना विधिवत प्रस्ताव के पट्टा जारी करना पूर्णत अवैध एवं नियमों के विपरीत है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने की विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत यह भी आवश्यक है कि सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की जाए, उस पर विचार–विमर्श कर विधिवत प्रस्ताव पारित किया जाए तथा उक्त प्रस्ताव में मिसल संख्या, भूमि का स्पष्ट विवरण एवं लिए गए निर्णय पर स्पष्ट उल्लेख किया जाए किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई विधिसम्मत कार्यवाही अभिलेखों में परिलक्षित नहीं होती

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

है। उपरोक्त परिस्थितियों से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी को अनुचित लाभ पहुचाने के उद्देश्य से पट्टा आवंटन के सामान्य एवं अनिवार्य नियमों की उपेक्षा करते हुए अपारदर्शी तरीके से पट्टा जारी किया गया है। अतः उक्त परिस्थितियाँ यह स्पष्ट करती है कि प्रश्नगत पट्टा अभिलेखीय दृष्टि अविश्वसनीय एवं विधिसम्मत प्रक्रिया के अभाव में तैयार किया गया प्रतीत होता है, जिससे इसकी वैद्यता सन्देहास्पद हो जाती है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत मण्डला द्वारा मिसल संख्या 110/2012–13, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 14.02.2013 एवं उसकी पालना में ज़ारी पट्टा संख्या 70 दिनांक 14.02.2013 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली